

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 07/2014

पुनम यादव

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
21.05.2015	<p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 35, दिनांक 20.06.2014 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 27.12.2013 को पुनम यादव, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-144/2007 ,पंचायत-माधोपुर, प्रखंड-मढौरा, थाना-मढौरा जिला-सारण की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल के द्वारा किया गया। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताए पाई गयी-</p> <ol style="list-style-type: none">(1) निरीक्षण के समय दुकान बन्द पाई गई।(2) दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि बी०पी०एल० योजानान्तर्गत 20 किलो खाद्यान्न मिलता है, जिसके एवज में 150 रु० की वसूली की जाती है।(3) दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि अन्वोदय योजाना में 25 किलो खाद्यान्न दिया जाता है और 110 रु० वसूल किया जाता है।(4) दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि 2.0 लीटर किरासन तेल देते है एवं 40 रु० वसूल की जाती है।(5) दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि विक्रेता के द्वारा कैशमेमो नहीं दिया जाता है(6) दुकान पर उपस्थित प्रिस कुमार के द्वारा बताया गया कि दूकान से	

संबंधित कागजात कामेश्वर राय रखते हैं, एवं उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 5251, दिनांक 28.12.2013 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि को 27.12.2013 को विक्रेता की दूकान खुली थी, और उनके द्वारा दुकान का संचालन 2:00 बजे तक किया गया था। 2:00 बजे के बाद दूकान बंद करके अपने बेटे की तबीयत खराब रहने के कारण डॉक्टर के यहाँ छपरा चला गया था। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरुद्ध शिकायत की गई थी। विक्रेता के द्वारा ग्रामीणों से जिन व्यक्तियों के द्वारा शिकायत करने की बात मालूम हुई, उनका शपथ पत्र विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विक्रेता से किसी प्रकार की कोई शिकायत न होने की बात अंकित है। विक्रेता के विरुद्ध गवई राजनीति के तहत उनके कुछ विरोधियों के द्वारा उन्हें परेशान करने की नीयत से गलत आरोप लगाये गये हैं। उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, एवं व्यक्तिगत दूश्मनी से प्रभावित हैं। विक्रेता के द्वारा अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण निगरानी समिति के समक्ष किया जाता है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 35, दिनांक 20.06.2014) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरुद्ध दिए गए कुल 4 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। शिकायत करने वाले चारों उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नहीं है। विक्रेता से प्राप्त कागजातों की जांच के प्रसंग कम में यदि कोई गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए आवश्यक है कि इस संबंध में विक्रेता से वे

पुरक कारण पृच्छा करते एवं प्राप्त जवाब के आलोक में विकेता की अनुज्ञप्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 19.07.2014 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक..... 362/न्या0, दिनांक..... 22/5/15

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समूह
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/5/15